

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या :1216/नौ-7-14-01घोषणा/2013
लखनऊ : दिनांक : 04 अगस्त, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 'थ' के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त राजस्व, कृष्येत्तर क्रिया-कलापों में नियोजन का प्रतिशत एवं आर्थिक महत्व को ध्यान में रखकर नीचे अनुसूची में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र को भारत का संविधान के भाग-9 'क' के प्रयोजन के लिए वृहत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करते हैं जिसे इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर फिरोजाबाद नगर निगम के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

नगर निगम फिरोजाबाद की सीमा चौहदी मौजा आसफाबाद, लालपुर, दीदामई, सैलई, नगला बरी रसूलपुर और मोहम्मदपुर गजमलपुर, सुखमलपुर निजामाबाद, टापाखुर्द, ककरऊ, रैहना, ढोलपुरा, हिमायुंपुर, दतौजी, प्रेमपुर रैपुरा एवं मौजा अकराबाद सम्मिलित है जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	मौजा का नाम	कुल गाटा संख्या	टिप्पणी
1.	आसफाबाद	1 से 344	सम्पूर्ण
2.	लालपुर	1 से 168	सम्पूर्ण
3.	दीदामई	1 से 512	सम्पूर्ण
4.	सैलई	1 से 322	सम्पूर्ण
5.	रसूलपुर	1 से 515	सम्पूर्ण
6.	मौहम्मदपुर गजमलपुर	1 से 537	सम्पूर्ण
7.	सुखमलपुर निजामाबाद	1 से 1025	सम्पूर्ण
8.	टापाखुर्द	1 से 741	सम्पूर्ण
9.	ककरऊ	1 से 160	सम्पूर्ण
10.	रैहना	1 से 344	सम्पूर्ण
11.	ढोलपुरा	1 से 493	सम्पूर्ण
12.	हिमायुंपुर	1 से 360	सम्पूर्ण
13.	दतौजी	1 से 1496	सम्पूर्ण
14.	प्रेमपुर रैपुरा	1 से 1343	सम्पूर्ण
15.	अकराबाद	1 से 232	सम्पूर्ण

अनुसूची-2


नगर निगम फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद के प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा :-

खम्भा नं० 1, बाउण्डी प्रारम्भ होती है, यह खम्भा नं० 1, ग्राम आसफाबाद के खेत नं० 338, के पश्चिम दक्षिण सिरे पर है। खम्भा नं०-1 से पूर्व की ओर 302 मीटर पर खम्भा नं० 2 है, यह खम्भा नं० 2 मौजा आसफाबाद के खेत नं०-341 के पूर्वी एवं दक्षिणी सिरे पर है।

नगर निगम फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद की चौहद्दी रेखा -

- उत्तर - मौजा सुखमलपुर निजामाबाद, ककरऊ, सैलई, टापाखुर्द, रसूलपुर, मौहम्मदपुर
गजमलपुर एवं दीदामई।
दक्षिण - मौजा दतौजी, प्रेमपुर रैपुरा, अकराबाद।
पूर्व - मौजा आसफाबाद, लालपुर।
पश्चिम - मौजा रैहना, ढोलपुरा, हिमायुंपुर।

आज्ञा से,


(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-1216(1)/नौ-7-14-01घोषणा/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक-04.08.2014 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर 100 प्रतियाँ शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


आज्ञा से,


(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1216(2)/नौ-7-14-01घोषणा/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे इस अधिसूचना/आदेश को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. संबंधित निकाय को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना/आदेश को अपने कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगवायें।
6. गार्ड फाइल।

7. नगर निगम फिरोजाबाद की वेब 2013 एड 
आज्ञा से,
(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।